

राजस्थान सरकार
स्कूल शिक्षा(गुप-5)विभाग

क्रमांक:प.12(6)शिक्षा-5/आरटीई दिशानिर्देश/2014/

जयपुर, दिनांक: 2-9-2016

आदेश

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 25.07.2016 के अतिक्रमण में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12 (1)(ग) के तहत दिनांक 28.04.2016 को निकाली गई लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु अन्तिम रूप से चयनित बालकों एवं बालिकाओं के विद्यालय में प्रवेश हेतु संशोधित समय सीमा 31.07.2016 थी। कुछ विद्यालयों में निःशुल्क सीट्स पर प्रवेशित बालक-बालिकाओं के नाम आरटीई वेबपोर्टल पर तकनीकी कारणों से अपलोड नहीं हो पाये। अतः दिनांक 31.07.2016 तक प्रवेश दिए गए विद्यार्थियों के नाम पोर्टल पर अपलोड करने हेतु समय सीमा 10.09.2016 निर्धारित की जाती है।

शेष कार्य इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.03.2016 में वर्णितानुसार किया जाएगा।

SD

(उमा शंकर त्रिपाठी)
वरिष्ठ शासन उप-सचिव
शिक्षा गुप-5

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
4. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
6. संयुक्त शासन सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा (आयोजना) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. श्री विनोद जैन, प्रमुख प्रणाली विश्लेषक, एनआईसी, शिक्षा संकुल, जयपुर को देकर लेख है, कि उक्त आदेश को आरटीई वेब-पोर्टल पर प्रदर्शित करवाने तथा ई-मेल के माध्यम से गैर-सरकारी विद्यालयों को प्रेषित करवाने का श्रम करें।
8. रक्षित पत्रावली।

अक्षय

लेखाधिकारी